



प्रेस नोट

वाराणसी पुलिस एवं एटीएस की संयुक्त कार्यवाही

8,00,000 रु० की जाली मुद्रा बरामद

दिनांक : 01 जनवरी 2019

दिनांक 31- 12- 2018 को वाराणसी पुलिस एवं एटीएस की संयुक्त कार्यवाही में गिलट बाजार थाना शिवपुर जनपद वाराणसी से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया जिसके पास से 8,00,000 रुपये (आठ लाख रुपये) मूल्य की भारतीय जाली मुद्रा बरामद हुई। अपराध के विषय में एटीएस उत्तर प्रदेश के पास अभिसूचना प्राप्त हुई थी। जिसे विगत कई दिनों से विकसित किया जा रहा था।

उक्त प्रकरण में इस सम्बन्ध में थाना शिवपुर जनपद – वाराणसी पर मु०अ०स०-1/19 धारा - 489 ख,ग IPCका पंजीकृत कराया गया है।

अभियुक्त का नाम पता -

नवीन कुमार पुत्र हरी लाल यादव
नि०- ग्राम नोनिया थाना - पहाडपुर
जनपद - पूंचम्पारण, बिहार
उम्र -24 वर्ष



पूछताछ विवरण :-

- अभियुक्त ने पूछने पर स्वीकार किया कि इन नोटों को यह फरक्का से पूना ले जा रहा था।
- पूना में इसे लोकल मार्केट में चलवाया जाता था।
- अभियुक्त ने बताया कि बरामद रूप में कलियाचक मालदा पश्चिम बंगाल से लेकर आ रहा हूँ।
- अभियुक्त ने बताया वहां पर बयालिस हजार असली भारतीय मुद्रा के बदले में एक लाख रूपए भारतीय जाली मुद्रा के हिसाब से आठ लाख रूपए मैनने लिया है।
- अभियुक्त ने बताया मैं इस भारतीय जाली मुद्रा का व्यापार करता हूँ।
- पूछताछ कुछ अन्य लोगों के नाम भी प्रकाश में आये हैं।

अग्रिम कार्यवाही :-

- गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ कर इनके अन्य साथियों का पता लगाया जाएगा।
- ये इन जाली मुद्रा को कैसे प्रयोग करते थे ?

गिरफ्तार करने वाली टीम :-

एटीएस की वाराणसी टीम निरीक्षक शैलेन्द्र त्रिपाठी, उ०नि० रितेश कुमार सिंह, हे०का० आलोक कुमार, का० रणविजय तिवारी, का० प्रभात द्विवेदी, का० नितेन्द्र कृष्ण यादव, का० अभिषेक सिंह, का०चा० अपरेन्द्र सिंह जनपद वाराणसी के उ०नि० काशी नाथ उपाध्याय, का० अखिलेश कुमार सिंह

बरामदगी
2000 के 400 नोट - 8,00,000
योग 8,00,000

पुरस्कार -

पुलिस महानिरीक्षक एटीएस लखनऊ द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली टीम को 20,000 रूपए पुरस्कार देने की घोषणा की गई।



असीम अरुण आई जी एटीएस

High Resolution फोटो प्राप्त करने के लिए कृपया लिंक पर क्लिक करें :-

https://drive.google.com/file/d/1Ny1p7Hcw3JWrAYMwpXS-ofRLRWiF_pbm/view?usp=sharing